अनुदान संख्या 67 - अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
GRANT No. 67 – MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted–	3054,70,00	2074,67,91	-980,02,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			972,31,56
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted–	100,00,00	99,64,00	-36,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			36,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2225” अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्प संख्यकों का कल्याण	मुख्य शीर्ष “2225” Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	24760. 00	11981.32	11222.18	-759.14
पु.	R.	-12778.68			
मुख्य शीर्ष “2235” सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head “2235” Social Security and Welfare				
मू.	O.	4008.00	1422.27	1422.30	+0.03
पु.	R.	-2585.73			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2250" अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services				
मू.	O.	835.00	571.76	568.06	-3.70
पु.	R.	-263.24			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	30080.00	..	..	..
पु.	R.	-30080.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	241884.00	192809.93	192809.85	-0.08
पु.	R.	-49074.07			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	2991.00	574.74	574.73	-0.01
पु.	R.	-2416.26			

(I) ₹54945.00 लाख का प्रावधान छियालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹54465.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹54945.00 lakhs remained wholly unutilised under forty six heads; of these ₹54465.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अल्पसंख्यकों का कल्याण" -

(A) Major Head "2225" – "Welfare of Minorities"–

(क) "आर्थिक विकास" -

(a) "Economic Development" –

(i) "कौशल विकास की पहल" - ₹280.00 लाख स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ii) "एमसीबी/एमसीडी के अंतर्गत न आने वाले गांवों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम" - ₹200.00 लाख स्कीम का विलय बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम स्कीम के साथ किए जाने के कारण थे।

(ख) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां" - ₹180.00 लाख राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ग) "शिक्षा"-

(i) "मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान" - ₹10000.00 लाख सक्षम प्राधिकारी द्वारा संग्रह निधि को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ii) "पहचान किए गए अल्पसंख्यक घनत्व वाले 251 पिछड़े कस्बों/नगरों में से ऐसे 100 कस्बों/नगरों में शिक्षा को बढ़ावा देने की स्कीम" - ₹200.00 लाख इस स्कीम का विलय बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम स्कीम के साथ किए जाने के कारण थे।

(iii) "यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता" - ₹350.00 लाख;

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम"-

(i) "Skill Development Initiatives" – ₹280.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(ii) "Village Development Programme for villages not covered by MCB/MCD" - ₹200.00 lakhs - due to merger of the scheme with Multi-sectoral Development Programme (MsDP) scheme.

(b) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings – State Channelising Agencies (SCAs) engaged for implementation of National Minorities Development and Finance Corporation Programmes" – ₹180.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from State Channelising agencies.

(c) "Education" –

(i) "Grants-in-Aid to Maulana Azad Education Foundation" – ₹10000.00 lakhs - due to non-approval of proposal for enhancing of corpus fund by the competent authority.

(ii) "Scheme for Promotion of Education in 100 Minority Concentration towns/cities out of 251 such towns/cities identified as backward" – ₹200.00 lakhs – due to merger of the scheme with Multi sectoral Development Programme (MsDP) Scheme.

(iii) "Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Service Commissions etc." - ₹350.00 lakhs;

(B) "Major Head "2235"- "Social Welfare – Other Programmes" –

(क) "छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या की गिरावट को रोकने के लिए स्कीम" - ₹200.00 लाख;

(ख) "समुद्रपार अध्ययनों के लिए शैक्षिक कर्जों पर ब्याज सहायता" - ₹180.00 लाख; और

(ग) "कौशल विकास की पहल" - ₹1500.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "सामान्य" - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और अनुषंगी स्कीम" - ₹200.00 लाख;

(ख) "सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) - अन्य व्यय" -

(i) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति" - ₹2200.00 लाख;

(ii) "अल्पसंख्यक घनत्व वाले चयनित जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹11110.00 लाख;

(iii) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - ₹9000.00 लाख;

(a) "Scheme for containing population decline of small minority communities" - ₹200.00 lakhs;

(b) "Interest subsidy on Educational Loans for Overseas studies" - ₹180.00 lakhs; and

(c) "Skill Development Initiatives" – ₹1500.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-approval of the scheme.

(C) Major Head "2552" –

(a) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) – Aid to Voluntary Organisations – Coaching and Allied Scheme for Minorities"- ₹200.00 lakhs;

(b) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) – Other Expenditure" –

(i) "Merit-cum-Means Scholarship for professional and technical courses for Minorities"– ₹2200.00 lakhs;

(ii) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities in selected Minorities concentration Districts" – ₹11110.00 lakhs;

(iii) "Pre-Matric scholarship for Minorities" – ₹9000.00 lakhs;

(iv) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति" - ₹5000.00 लाख;

(v) "अल्पसंख्यक समुदायों के नेतृत्व विकास संबंधी स्कीम" - ₹150.00 लाख; और

(vi) "अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति - ₹700.00 लाख।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(vii) "कौशल विकास की पहल" - ₹200.00 लाख स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(viii) "पहचान किए गए अल्पसंख्यक घनत्व वाले 251 पिछड़े कस्बों/नगरों में से ऐसे 100 कस्बों/नगरों में शिक्षा को बढ़ावा देने की स्कीम" - ₹500.00 लाख;

(ix) "एमसीबी/ एमसीडी के अंतर्गत न आने वाले गांवों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम" - ₹500.00 लाख;

(x) "एमसीडी में जिला स्तर की संस्थाओं को सहायता" - ₹250.00 लाख;

(घा) मुख्य शीर्ष "3601"-

(क) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) - अन्य अनुदान"-

(iv) "Post-Matric scholarship for Minorities" – ₹5000.00 lakhs;

(v) "Scheme for Leadership Development of Minority Communities" - ₹150.00 lakhs; and

(vi) "National Fellowship for Students from Minority Communities" – ₹700.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vii) "Skill Development Initiatives" - ₹200.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(viii) "Scheme for promotion of education in 100 minority concentration towns/cities out of 251 such towns/cities identified as backward" - ₹500.00 lakhs;

(ix) "Village development programme for villages not covered by MCB/MCD" - ₹500.00 lakhs;

(x) "Support to Districts Level Institutions in MCDs" – ₹250.00 lakhs;

(D) Major Head"3601"-

(a) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Other Grants" –

(i) "पहचान किए गए अल्पसंख्यक घनत्व वाले 251 पिछड़े कस्बों/नगरों में से ऐसे 100 कस्बों/नगरों में शिक्षा को बढ़ावा देने की स्कीम" - ₹4250.00 लाख;

(ii) "एमसीबी/ एमसीडी के अंतर्गत न आने वाले गांवों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम" - ₹4280.00 लाख;

(iii) "एमसीडी में जिला स्तर की संस्थाओं को सहायता" - ₹2200.00 लाख; और

(iv) "नवीं कक्षा की छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिलें"- ₹420.00 लाख।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम का विलय बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम स्कीम में किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) - अन्य अनुदान - राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण" - ₹415.00 लाख स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2225" - "अल्पसंख्यकों का कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "आर्थिक विकास - अल्पसंख्यकों के लिए बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹856.70 लाख की बचत (₹882.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयुक्त प्रस्ताव और उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने, स्कीम का पुनर्गठन किए जाने और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा कम निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(खा) "शिक्षा"-

(i) "Scheme for promotion of education in 100 minority concentration towns/cities out of 251 such towns/cities identified as backward"- ₹4250.00 lakhs;

(ii) "Village development programme for villages not covered by MCB/MCD" – ₹4280.00 lakhs;

(iii) "Support to Districts Level Institution in MCDs" - ₹2200.00 lakhs; and

(iv) "Free Cycles for Girl Students of Class IX" - ₹420.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to merger of the scheme with Multi-sectoral Development Programme scheme.

(b) "Grants for Central Plan Schemes - General (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Other Grants – Strengthening of the State Waqf Boards" – ₹415.00 lakhs - due to non–approval of the scheme.

(II) Under Major Head "2225"- "Welfare of Minorities" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Economic Development - Multi-sectoral Development Programme (MsDP) for Minorities"- saving of ₹856.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹882.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals and untilisation certificates from implementing agencies, restructuring of the scheme and utilisation of less funds by Andaman and Nicobar Administration.

(B) "Education" –

(क) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति"- ₹230.23 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति"- ₹187.82 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अंडमान तथा निकोबार और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ग) "नि:शुल्क कोचिंग और अनुषंगी स्कीम" - ₹398.25 लाख की बचत (₹1798.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(गा) "अन्य व्यय"-

(क) "अल्पसंख्यकों के लिए जनसंचार माध्यमों से प्रचार अभियान"- ₹394.21 लाख की बचत (₹3270.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कम निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अनुसंधान/अध्ययन निगरानी और स्कीमों का मूल्यांकन" - ₹470.86 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण" - ₹360.90 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ण प्रस्तावों और उपयोग प्रमाण-

(a) "Pre-Matric Scholarship for Minorities" – saving of ₹230.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs); and

(b) "Post-Matric Scholarship for Minorities" – saving of ₹187.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate proposals from Union Territory Administration of Andaman and Nicobar and Chandigarh.

(c) "Free Coaching and Allied Scheme"- saving of ₹398.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1798.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Other Expenditure" –

(a) "Media Campaign for Minorities" - saving of ₹394.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3270.00 lakhs) was due to lack of viable proposals and utilisation of less funds by Ministry of Information and Broadcasting.

(b) "Research/Studies Monitoring and Evaluation of Schemes" - saving of ₹470.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(III) Under Major "2235"- "Social Welfare - Other Programmes"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Computerization of records of State Waqf Boards"- saving of ₹360.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to

पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए स्कीम" - ₹304.80 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रम के देर से शुरू होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2250" - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग" के अंतर्गत ₹200.78 लाख की बचत (₹636.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, कम दौरे किए जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने और कार्यालय को नए परिसरों में स्थानांतरित किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) - अन्य अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति" - ₹1524.80 लाख की बचत (₹19500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - ₹1677.03 लाख की बचत (₹80000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति" - ₹11785.68 लाख की बचत (₹44400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

non-receipt of complete proposals and utilisation certificates.

(B) "Scheme for Leadership Development of Minority Women"- saving of ₹304.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs) was due to late start of training programme.

(IV) Under Major Head "2250" - "Other Expenditure - National Commission for Minorities"- saving of ₹200.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹636.40 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, receipt of less medical claims and non-shifting of office to new premises.

(V) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – General – (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) – Other Grants" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses for Minorities" – saving of ₹1524.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19500.00 lakhs);

(B) "Pre-Matric Scholarship for Minorities" – saving of ₹1677.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80000.00 lakhs); and

(C) "Post-Matric scholarship for Minorities" – saving of ₹11785.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44400.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) "अल्पसंख्यकों की सघनता वाले चयनित जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹22510.64 लाख की बचत (₹86408.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से उपयुक्त प्रस्तावों और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने और स्कीम के पुनर्गठन का कार्य जारी रहने के कारण हुई।

(D) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities in selected Minority concentration Districts" – saving of ₹22510.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹86408.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals and utilisation certificates from State Government and restructuring of the scheme being underway.

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) - अन्य अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - General-(Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Other Grants"- savings occurred under the following heads:-

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति" - ₹116.96 लाख की बचत (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Merit-cum-Means Scholarship for professional and technical courses for Minorities" – saving of ₹116.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) ;

(खा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - ₹479.01 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Pre-Matric scholarship for Minorities" – saving of ₹479.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs); and

(गा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति" - ₹383.05 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Post-Matric scholarship for Minorities" – saving of ₹383.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of adequate proposals from Union Territory Administration of Delhi and Puducherry.

(घा) "अल्पसंख्यकों की सघनता वाले चयनित जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹1296.25 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार से उपयुक्त प्रस्ताव और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने और स्कीम का पुनर्गठन किए जाने के कारण हुई।

(D) "Multi-Sectoral Development Programme for Minorities in Selected Minority Concentration Districts" – saving of ₹1296.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals and utilisation certificates from Union Territory Government of Delhi and restructuring of the scheme.

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹66.16 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थी।

(VII) Under one head saving of ₹66.16 lakhs occurred constituting 33 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2225" - "अल्पसंख्यकों का कल्याण - शिक्षा - अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹6300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2225" – "Welfare of Minorities - Education - Maulana Azad National Fellowship for Minority Students" – excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	9000.00	9964.00	9964.00	..
पु.	R.	964.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1000.00	..	..	..
पु.	R.	-1000.00			

(I) ₹1000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य" - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के

(I) Provision of ₹1000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "General – (Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Minorities

लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4225" - "अल्पसंख्यकों का कल्याण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹964.00 लाख का अधिक व्यय (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Development and Finance Corporation" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4225" – "Welfare of Minorities – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Minorities Development and Finance Corporation" – excess of ₹964.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.